FORM NO. 03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा

अनवान

कजूं देगा बनाम कौसल्या बगैरा देगा

किस्म मुकदमा धारा 53 RTA मु0न0 47 सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2023/184	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
26/5/23	पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 RTA के तहत् पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 12/7/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा	
12/7/23	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। वादी अधिवक्ता को न्यायालय समय व न्यायालय समाप्ति तक कई बार आवाज लगवाई गई वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी सं 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता पर अधिवक्ता पारस की हाजरी पेश किये जाने पर पारित किया गया। वादी अधिवक्ता को कई बार आवाज लगवाई गई उपस्थित नहीं है। प्रकरण अदक हाजरी अदक पैरवी में स्थगित किया जाता है। अग्र प्रकरण अदक हाजरी अदक पैरवी में स्थगित किया जाता है। पत्रावली पैनल सुमार होवा नस्ब की जावे। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:37:49 IST
Reason: SelfAttested